घंटावार आधार पर रखा गया है तथा वे प्रतिदिन 4 से 6 घंटे काम करते हैं। उन्हें जिन तारीखों को काम पर रखा गया वे 4.11.1987 से सितम्बर 1997 के बीच पड़ती हैं।

(ग) तथा (घ) इन अंशकालिक कामगरों की सेवाओं को नियमित करने संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है, क्योंकि वे कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 49014/4/77-स्थापना (सी) दिनांक 21.3.1979 में दी गई शर्तों को पूरी नहीं करते हैं। उन्हें भारत सरकार की अनियत श्रमिक (अस्थायीकरण तथा नियमितीकरण का दर्जा देना) योजना, 1993 जो 1.9.1993 से लागू है तथा दैनिक मजदूरी आधार पर कार्य कर रहे श्रमिकों पर लागू होती है, के तहत भी अस्थायी हैसियत नहीं दी जा सकती। इनमें से कुछ अंशकालिक कामगारों ने अनपी सेवाओं के नियमितीकरण हेतु केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरम की चंडीगढ़ खंडपीठ में अर्जी दाखिल की थी तथा माननीय अधिकरम की चंड़ीगढ़ खंडपीठ ने दिनांक 12.6.1997 के अनपे आदेश द्वारा मामले का निपटान किया था।

बाल-श्रम के संबंध में दिशा निर्देश

4368. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने बाल-श्रम के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किये हैं,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारें इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार उनसे दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.12.96 के अपने निर्णय में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बच्चों को कार्य से हटाने और पुनर्वासित किए जाने की रीति तथा गैर-जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बच्चों की कार्यपरिस्थितियों की विनियमित किए जाने व उनमें सुधार किए जाने कौ रीति के बारे में में कतिपय निर्देश दिए थे। निर्णय में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश में कामकाजी बच्चों का सर्वेक्षण और उनकी पहचान किए जाने, बाल श्रम (प्रतिवेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का उल्लंघन करके जोखिमकारी व्यवसायों में नियोजित किए गए प्रत्येक बच्चे के लिये चूककर्ता नियोजकों द्वारा 20,000/- रुपये की धनराशि (की क्षतिपूर्ति की अदायगी, ऐसे जोखिमकारी व्यवसायों से हटाए गए बच्चे के स्थान पर परिवार के एक वयस्क सदस्य को वैकल्पिक रोजगार दिया जाना, इस प्रकार हटाए गए बच्चे के लिए एक उपयुक्त संस्था में शिक्षा का प्रवाधान, बाल श्रम पुनर्वास –सह-कल्याण- निधि का स्रजन आदि शामिल है।

(ग) उचच्तम न्यायालय के निदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त है और सरकार इन निर्देशों को कार्यन्वित करने के लिए बाध्य है। उक्त निर्देशों के उल्लंघन का कोई भी उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Non-Payment of P.F. Dues

4369. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LAffOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Singer India Limited, New Delhi and Bajaj Electricals Limited, Mumbai have not been making payments of PF dues to their employees despite repeated reminders;

(b) whether these companies have been flouting provisions of EPF and Misc. Provisions Act, 1952;

(c) whether Government and Regional Provident Fund Commissioners, New Delhi and Mumbai have received a number of complaints against these companies but no action have been taken; and

(d) if so, the facts and reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR(DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (d) During 1997-98, there were four complaints about non-payment of provident fund dues to the employees of M/s. Singer India Limited. Necessary action on these complaints was taken and provident fund dues have since been released to the concerned employees. As regards, M/s. Bajaj Electricals Limited, Mumbai it is reported that PF contributions are being maintained by Provident Fund Trust of the company for which it has not been formally and legally permitted as required under the E.P.F. & M.P. Act, 1952. Immediately, on detection of default by the company a criminal case u/s 406/409 of the IPC was filed in Ibe court. Subsequently, a Writ petition in the matter was filed in the High Court *dt* Mun^ai and further action is held up due to interim relief granted by the Court.